"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 533] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अगस्त 2019 — भाद्रपद 6, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक आर 3839/1124/सा/2019/सत्रह/एक. — मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 49 सहपठित धारा 23, 24 तथा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोकपाल की नियुक्ति, निर्बंधन एवं शर्तें, योग्यता तथा लोकपाल द्वारा जांच की रीति को उपबंधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (लोकपाल और कानूनी कार्यवाही) नियम, 2019 कहलायेंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16);

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है जब तक अन्यथा अधिसूचित न हो, केन्द्र सरकार की दशा में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एवं राज्य सरकार की दशा में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति;

(ग) "उच्च भारित जिला" से अभिप्रेत है समय समय पर केन्द्र सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित जिला;

(घ) "लोकपाल" से अभिप्रेत है कोई अधिकारी, जिसे राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 23 के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त या पदाभिहित किया गया हो।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. **एचआईवी/एड्स, एआरटी एवं ओआई प्रबंधन की निदान सुविधाओं का प्रावधान.**– अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत, राज्य शासन, सभी नागरिकों को शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क निदान सेवा एवं नाको के दिशानिर्देश के अनुसार एआरटी दवाओं को समस्त एआरटी सेन्टर/लिंक एआरटी सेन्टर में सभी

एचआईवी पॉजिटिव लोगों को निःशुल्क अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेगा तथा अवसरकारक संक्रमण (आपरचुनिस्टिक इन्फेक्सन) का प्रबंधन, सभी शासकीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशानिर्देश के अनुसरण में किया जायेगा।

4. **लोकपाल की नियुक्ति एवं क्षेत्राधिकार.**– (1) अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (3) के अंतर्गत, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवायें के आयुक्त को, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की धारा 3 में उल्लिखित पक्षपात के संबंध में, अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में जांच के उद्देश्य से इन नियमों के प्रयोजन के लिए, लोकपाल के रूप में पदाभिहित करेगा।

(2) लोकपाल का मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा।

(3) लोकपाल का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ होगा ।

5. **निर्बंधन एवं शर्तें.**– अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (2) के अंतर्गत, राज्य शासन, लोकपाल नियुक्ति के तीस दिवस के अंदर, एचआईवी से ग्रस्त संरक्षित व्यक्ति या व्यक्तियों सहित विशेषज्ञों की सहायता की व्यवस्था, न्याय एवं कानून के सिद्धांत के अनुसार लोकपाल को एचआईवी एवं एड्स पर संवेदीकरण और उन्मुखीकरण संबंधी प्रशिक्षण, एचआईवी एवं एड्स पर बुनियादी विज्ञान, एचआईव्ही संबंधी रोकथाम, देखभाल, सहायता एवं उपचार की व्यवस्था, मानव लैंगिकता, लैंगिक अभिविन्यास एवं लिंग पहचान, नशीली दवाएं एवं लैंगिक कार्य आदि के संबंध में जागरूक करेगा जिससे एचआईव्ही के साथ जीने वाले लोगों के प्रति व्याप्त कलंक एवं भेदभाव तथा अधिक जोखिम को कम किया जा सके।

6. **लोकपाल के कार्य**– (1) इस अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों की जांच करते समय, लोकपाल, उद्देश्यपरक एवं स्वतंत्रतापूर्ण रीति से कार्य करेगा ।

(2) अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय, लोकपाल, साक्ष्य के किन्हीं नियमों से बाध्य नहीं होगा तथा ऐसी प्रक्रिया, जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझता हो, का पालन करेगा, जिसमें शिकायत करने वाले पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना सम्मिलित होगा।

(3) सभी शिकायतों की जांच, किसी पूर्वाग्रह, पक्षपात एवं अपराधबोध के बिना, करेगा।

(4) अपने कार्य को संतुलित एवं मानवोचित तरीके से, अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन एवं कियान्वयन करेगा।

(5) कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से निवारित होगा, जो धर्म, जाति, लिंग पर आधारित हो।

7. **राज्य शासन को सूचनायें प्रस्तुत करना.**– (1) शिकायत के अनुवर्ती कार्यवाही में पारदर्शिता एवं अन्यथा के अनुरक्षण के लिए, राज्य शासन, समय समय पर या जब उसके द्वारा अपेक्षित हो, लोकपाल की गतिविधियों के संबंध में कोई भी सूचना मंगा सकेगा।

(2) यदि कोई भी व्यथित व्यक्ति, लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समक्ष उस तिथि, जिस पर अधिनियम के प्रावधान के अधीन लोकपाल द्वारा आदेश पारित किया गया है, से 30 दिनों के भीतर संपर्क कर सकता है।

8. **लोकपाल द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीति.**– (1) अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार, लोकपाल–

(क) शिकायत की प्राप्ति पर, तत्काल, इस प्रयोजन हेतु संधारित रजिस्टर में भौतिक या कम्प्यूटराइज्ड रूप में क्रमिक यूनिक शिकायत क्रमांक समनुदेशित करते हुए, उसे अभिलिखित करेगा;

(ख) शिकायत की प्राप्ति पर, उसकी अभिस्वीकृति देगा, जिसमें एसएमएस या ई–मेल द्वारा शिकायतकर्ता को, जहां उपलब्ध हो, यूनिक शिकायत क्रमांक भेजना सम्मिलित है;

(ग) शिकायत का समय एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही को, रजिस्टर में अभिलिखित करेगा; और

(घ) शिकायत के समर्थन में डायरियों (पंजीयों) का अनुवर्त एवं निगरानी करेगा।

9. **लोकपाल से शिकायत करने की रीति.**– (1) अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति, लोकपाल, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर कथित उल्लंघन हुआ हो, को उस तारीख, जिस पर शिकायत करने वाला व्यक्ति, अधिनियम के कथित उल्लंघन से सचेत हुआ हो, से तीन माह के भीतर शिकायत कर सकेगा :

परन्तु यह कि लोकपाल, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, शिकायत किये जाने हेतु समय सीमा का विस्तार, तीन माह की अग्रतर अवधि के लिये कर सकेगा, यदि वह संतुष्ट हो कि परिस्थितियों के कारण निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत करने से शिकायतकर्ता निवारित हुआ था।

(2) अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत, सभी शिकायतें, नियमों के परिशिष्ट में वर्णित प्ररूप के अनुसार लिखित में लोकपाल को की जायेगी :

परन्तु यह कि जहां लोकपाल को शिकायत लिखित में नहीं की जा सकती हो, वहां शिकायतकर्ता को, शिकायत को लिखने में सभी युक्तियुक्त सहायता करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत, व्यक्तिगत, डाक, दूरभाष अथवा लोकपाल के वेबसाईट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोकपाल शिकायत प्राप्त कर सकेगा :

परन्तु यह कि राज्य शासन, लोकपाल की नियुक्ति के सात दिवस के भीतर लोकपाल का वेबसाईट संस्थापित करेगा।

(4) आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में, लोकपाल या उसका सहायक, शिकायत के लिखित प्रलेखन को समर्थ बनाने हेतु कथित उल्लंघन के स्थल का अथवा किसी अन्य स्थल का शिकायतकर्ता के साथ दौरा कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, विशेष सचिव.

परिशिष्ट

नियम 9 के अधीन लोकपाल को शिकायत करने हेतु प्रारूप

1. घटना का दिनांक .....
2. घटना स्थल .....
3. घटना का विवरण .....
4 घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्ति/संस्था.....

शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान*

नामः दिनांकः

मो.नंबर/ईमेल/फैक्स/पताः

केवल कार्यालय उपयोग हेतुः
विशिष्ट शिकायत नम्बरः .....
*जहां शिकायत, टेलीफोन से प्राप्त होती है एवं लोकपाल द्वारा लिखा जाता है, वहां लोकपाल प्रारूप में हस्ताक्षर करेगा।

अटल नगर, दिनांक 19 अगस्त 2019

क्रमांक आर 3839/1124/सा/2019/सत्रह/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19–08–2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 19th August 2019

NOTIFICATION

No. R 3839/1124/SA./2019/17-1. — In exercise of powers conferred by Section 49 read with Sections 23, 24 and 25 of the Human Immunodeficiency Virus And Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Act, 2017 (16 of 2017), the State Government, hereby, makes the following rules to provide for the appointment, terms and conditions, qualifications and manner of inquiry by Ombudsman, namely :-

RULES

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules shall be called the Chhattisgarh Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Ombudsman and Legal Proceedings) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017 (No. 16 of 2017);

(b) "Appropriate Authority" means, unless otherwise notified, the National AIDS Control Organisation in the case of the Central Government and the Chhattisgarh State AIDS Control Society in the case of the State Government;

(c) "High burden districts" means districts as notified by the appropriate authority under the Central Government from time to time;

(d) "Ombudsman" means an Officer appointed or designated by the State Government, as the case may be, under Section 23 of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. **Provision of Diagnostic Facilities of HIV/AIDS, ART and OI Management.-** The State Government shall compulsorily provide free diagnostic services to all citizens in all Government Health Centers and Anti-retroviral Therapy (ART) drugs free of cost as per the guidance of NACO to all HIV Positive People at all ART Center/Link ART Centers and Opportunistic Infection shall be managed at all Government Health Service Centers under Section 14 of the Act in the guidance of National AIDS Control Organisation, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.

4. **Appointment and Jurisdiction of Ombudsman.-** (1) The State Government shall designate Commissioner of Health Service of Chhattisgarh as a Ombudsman under sub-section (3) of Section 23 of the Act, for the purpose of these rules with object to inquiry into the violation of the provision of this Act in relation to discrimination mentioned in Section 3 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Act, 2017.

(2) The Principal seat of the Ombudsman shall be at Raipur, Chhattisgarh.

(3) The Ombudsman shall have its jurisdiction over whole of the Chhattisgarh.

5. **Terms and condition.-** Within thirty days of appointing the Ombudsman, the State Government shall provide, with the assistance of experts including protected persons and persons vulnerable to HIV, training Sensitization and orientation for the Ombudsman on HIV and AIDS, under sub-section (2) of Section 23 of the Act as per principles of justice and law, the basic science on HIV and AIDS, HIV-related prevention, care, support and treatment, human sexuality, sexual orientation and gender identity, drug use and sex work, as to reduction of stigma and discrimination of people living with HIV and greater risk.

6. **Functions of ombudsman.-** (1) The ombudsman shall act in an objective and in independent manner when inquiring into complaints made under the Act.

(2) While inquiring into complaints under the act the ombudsman shall not be bound by any rule of evidence and shall follow such procedure as he considers just, fair and reasonable, which shall include parties to complaint, being given a reasonable opportunities to be heard.

(3) Shall conduct all inquiries in a just manner without any bias and perceived presumption of guilt.

(4) Shall observe and implement the provisions of the Act and Rules in a balanced and standardized manner in course of their work.

(5) Shall refrain from making any comments which demean individual on the basis of gender, race and religion.

7. **Furnishing of information to the State Government.-** (1) For the maintenance of transparency in the follow up action of complaint or otherwise the State Government may call for any information concerning the activities of ombudsman periodically or as when required by it.

(2) If any aggrieved person is not satisfied with the order passed by the ombudsman, he may approach to the Secretary, Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh within 30 days from the date on which order has been passed by the ombudsman under the provision of the Act.

8. **Manner of maintaining records by Ombudsman.-** The Ombudsman shall -

(a) immediately on the receipt of a complaint, record it by assigning a sequential unique complaint number in a register maintained solely for that purpose in physical or computerized form;

(b) on receipt of the complaint, acknowledge it including by sending the unique complaint number by SMS or e-mail to the complainant where available;

(c) record the time of the complaint and the action taken on the complaint in the register; and

(d) maintain follow up and monitor the diaries in support of the complaint cases;
as specified in sub-section (3) of Section 24 of the Act.

9. **Manner of making complaints to Ombudsman.-** (1) Any person may make a complaint under Section 25 of the Act to the Ombudsman within whose jurisdiction the alleged violation took place, within three months from the date that the person making the complaint became aware of the alleged violation of the Act:

Provided that the Ombudsman may, for reasons to be recorded in writing, extend the time limit to make the complaint by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances prevented the complainant from making the complaint within the stipulated period.

(2) All complaints under Section 25 of the Act, shall be made to the Ombudsman in writing in accordance with the form set out in the Appendix to the rules:

Provided that where a complaint cannot be made in writing, the Ombudsman shall render all reasonable assistance to the complainant to reduce the complaint in writing.

(3) The Ombudsman may receive complaints under Section 25 of the Act, made in person, via post, telephonically or through electronic form through the Ombudsman's website:

Provided that the State Government shall within seven days of the appointment of the Ombudsman establish a website of the Ombudsman.

(4) In cases of medical emergency, the Ombudsman or his assistant may visit with the complainant at the location of the alleged violation or any other place to enable written documentation of the complaint.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVNESH YADAW, Special Secretary.

APPENDIX

FORM FOR MAKING COMPLAINT TO OMBUDSMAN UNDER RULE 9

1.Date of Incident ____

2.Place of Incident ____

3.Description of incident _____

4.Person/ Institution responsible for the incident _____

Signature/ Thumb Impression of Complainant*

Name: Date:

Mobile No./email/Fax/Address:

For Official Use only:

Unique Complaint Number: ____

*Where the complaint is received telephonically and reduced to writing by the Ombudsman, the Ombudsman shall sign the Form

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.